संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

कमॉक–4/राबीसनि/2012/ 3114 भोपाल, दिनॉक 12/11/2012

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

विषयः–राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अन्तर्गत के प्रकरणों में अनियमितताओं के संबंध में ।

विषयांतर्गत में राज्य स्तर पर विभिन्न निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें योजनाओं से संबंधित चिकित्सा संस्थायें या तो बीमारियों के उपचार/ऑपरेशन हेतु निर्धारित पैकेज से अधिक का प्राकल्लन देती हैं अथवा निर्धारित पैकेज का प्राकल्लन देती हैं । लेकिन दोनों ही स्थितियों में विभिन्न सस्थायें उपचार/ऑपरेशन के दौरान रोगियों से पैकेज राशि से अधिक, उपचार राशि की मांग करती हैं अथवा औषधि–सामग्रियां बाहर/बाजार से मंगवाते हैं, जो कि उचित नहीं है ।

दोनों योजनाओं में संबंधित उपचार करने वाली चिकित्सा संस्थाओं को निर्धारित पैकेज के अनुसार ही प्राकल्लन देना चाहिये तथा स्वीकृत राशि में ही, रोगी का सम्पूर्ण उपचार/ऑपरेशन करना चाहिये । उपरोक्त के साथ–साथ संबंधित चिकित्सा संस्थाओं को रोगी के उपचार/ऑपरेशन के बाद उन्हें प्रदाय की गई राशि का विस्तृत उपयोगिता प्रमाण–पत्र (UC) भेजना होता है, लेकिन इसका पालन भी अधिकतर संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

आपको अवगत है कि दोनों ही योजनाओं में प्रकरण, जिला व संभाग स्तर से निर्धारित प्रकिया का नियमानुसार पालन कर स्वीकृत किये जाते हैं । दोनों योजनाओं के समुचित कियान्वयन एवं निर्धारित नियमों/प्रावधानों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण जवाबदेही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रहती है एवं संभागीय अधिकारी के नाते संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें की भी बनती है।

अतः उपरोक्त उल्लेखित के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृतियों हेतु निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें एवं सभी प्रकरणों की मॉनिटरिंग अपने स्तर से की जावे, जिससे हितग्राही को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो ।

महालेखाकार ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा ऑडिट पैरा के रूप में आपत्तियां ली गई हैं, कि जो राशि रोगियों के उपचार हेतु स्वास्थ्य रांस्थाओं को दी जाती हैं, उसका विस्तृत उपयोगिता प्रमाण–पत्र (UC) एवं मरीज का डिस्चार्ज टिकिट संबंधित संस्था को रोगियों के उपचार के बाद स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाना चाहिये ।

अतः समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जवाबदेही है कि उनके जिले का जो भी प्रकरण, जिस भी चिकित्सा संस्था में उपचार/ऑपरेशन कराने हेतु जाता है एवं उसके लिये जो राशि स्वीकृत की जाती है, उनका अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र (UC) प्राप्त किया जावे एवं इसकी जानकारी संचालनालय को दी जावे ।

(डॉ. बी.एम.चौहान),
संचालक (रा0बी0स0नि0),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश.

पृ0क्रमॉक–4/राबीसनि/2012/ भोपाल, दिनॉक 12/11/2012

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल म. प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संभाग आयुक्त, (राजस्व), मध्यप्रदेश ।
5. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
6. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
7. संचालक (एम.आर.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
8. संयुक्त संचालक (MR/SIAF/MMBHUY) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

संचालक (रा0बी0स0नि0),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश.